भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 315
दिनांक 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनकापल्ली फार्मा प्लांट में विस्फोट

315. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए विस्फोट से पहले एसिंशिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में किए गए सुरक्षा निरीक्षणों की कुल संख्या कितनी थी, जिसमें पहचाने गए किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन मुद्दे शामिल हैं;

(ख) दवा विनिर्माण इकाइयों में खतरनाक रसायनों के संचालन के लिए क्या विशिष्ट सुरक्षा विनियम और प्रोटोकॉल मौजूद हैं, क्या अनकापल्ली घटना में शामिल कंपनी द्वारा इन प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृतकों और घायल श्रमिकों के परिवारों को प्रदान किए गए मुआवजे और सहायता उपायों का ब्यौरा क्या है तथा घटना के संबंध में चल रही किसी जांच या संपरीक्षा की स्थिति क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत मेसर्स एसिंशिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक कारखाने का पहली बार दिनांक 02.02.2018 को निरीक्षण किया गया था और उसके पश्चात वर्ष 2021 में इसका एक तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ सुरक्षा ऑडिट किया गया था और इसकी रिपोर्ट दिनांक 17.11.2021 को प्रस्तुत की गई तथा जिसके पश्चात दिनांक 19.10.2022 को एक विभागीय निरीक्षण किया गया था। राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त यह सूचित किया है कि इन दौरों के दौरान, कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने की स्थिति पाई गई थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है और इसे आवश्यक अनुपालन के लिए कारखाना प्रबंधन को विधिवत सम्प्रेषित किया गया था:

(i) संयंत्र और उपकरणों की स्थिति की अपर्याप्त निगरानी;
(ii) अपर्याप्त जोखिम आकलन;
(iii) अपर्याप्त मानक संचालन प्रक्रियाएं;
(iv) अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना;
(v) वेंटिलेशन सिस्टम में सुधार; और
(vi) अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ, आदि।

(ख): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने सूचित किया है कि उसने औद्योगिक परिचालनों में रासायनिक सुरक्षा हेतु एक निवारक तंत्र स्थापित करने के लिए खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 को अधिसूचित किया है। उक्त नियमों में प्रमुख दुर्घटना जोखिम इकाइयों के अधिभोगियों द्वारा सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने, अधिभोगियों द्वारा ऑन-साइट आपातकालीन योजना तैयार करने और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ऑफ-साइट आपातकालीन योजना तैयार करने के प्रावधान हैं।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश कारखाना नियम, 1950 के नियम 97 के तहत "रासायनिक कार्यों" हेतु अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल पर एक अनुसूची प्रदान की गई है और उपकरण या प्रक्रिया-विशिष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल नियम 61-झ, 61-ण आदि के तहत प्रदान किए जाते हैं। उक्त नियम औषध कारखानों पर भी लागू होते हैं। उक्त कारखाने में सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन को प्राप्त करने के उद्देश्य से, कारखाने के संबंध में दिनांक 10.11.2023, 31.1.2024 और 30.4.2024 को विशेष अभियान निरीक्षण किए गए थे, जिससे दुर्घटना होने से पहले रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रोटोकॉल के 93.5% अनुपालन की उपलब्धि हासिल हुई। इसके अलावा, रिकार्ड के अनुसार, दुर्घटना से पहले कारखाने ने आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए छह मॉक अभ्यास किए तथा सुरक्षा समिति की छह बैठकें आयोजित कीं, जिनमें कर्मियों को शामिल किया गया तथा भागीदारी का स्तर बढ़ाया गया।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कंपनी के प्रबंधन ने मृतक और घायल कर्मियों के आश्रितों को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया है:

क्र. सं.	कर्मियों की मृत या घायल स्थिति के बारे में विवरण	कर्मियों की संख्या	प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान की गई प्रतिपूर्ति	कुल भुगतान की गई प्रतिपूर्ति
1	मृतक कर्मी	17	₹ 1 करोड़	₹ 17 करोड़
2	गंभीर रूप से घायल कर्मी	21	₹ 50 लाख	₹ 10.5 करोड़
3	मामूली चोटों वाले कर्मी	18	₹ 25 लाख	₹ 4.5 करोड़
कुल भुगतान की गई प्रतिपूर्ति				₹ 32 करोड़

*****